न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 12/2025

अंकित जैन निवासी वार्ड नम्बर 07 देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 04.03.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑन लाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 31.12.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

देवली नगर पालिका के नगर पालिका चुनाव 2021 मे चुनाव आयोग द्वारा चुनाव लडने के लिए अयोग्य किये गये व्यक्तियो की सूची उपलब्ध कराने का श्रम करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 198 दिनांक 11.02.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 216 दिनांक 18.02.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी देवली से सम्बन्धित होने के कारण उनके पत्र कमांक 114 दिनांक 27.01.2025 द्वारा अंतरित करने पर उपखण्ड अधिकारी देवली ने अपने पत्र कमांक 79 दिनांक 11.02.2025 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक व लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी देवली तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक